कोचिंग संस्थानों के लिये शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में **शिक्षा मंत्रालय** (MoE) ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और **निजी कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि पर प्रबंधित लगाने हेतु दिशा-निर्देश प्रस्तुत** किये हैं।

कोचिंग संस्थानों के लिये प्रमुख दिशा-निर्देश क्या हैं?

- **आयु संबंधी प्रतिबंध**: कोचिंग संस्थानों पर **16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के नामांकन** पर प्रतिबंध लगाया गया है। माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद ही छात्रों को नामांकन की अनुमति होगी।
- **शिक्षकों की योग्यता**: इन संस्थानों के शिक्षकों के पास कम-से-कम स्नातक की योग्यता होनी चाहिये, नैतिक अधमता के दोषी व्यक्तियों को नियुक्त करना निषिद्ध है। नैतिक अधमता का अर्थ है- सामाजिक कल्याण के विपरीत किया गया कार्य।
- **झूठे वादों और आश्वासन पर नियंत्रण**: कोचिंग संस्थानों को **भ्रामक दावे करने, रैंक की गारंटी देने अथवा अच्छे अंकों का आश्वासन देने के संबंध में भी निर्देश जारी किये गए हैं**।
  - कोचिंग की गुणवत्ता, सुविधाओं अथवा परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रस्तुत करना सख्त वर्जित है।
- **वेबसाइट अद्यतन**: कोचिंग संस्थानों के पास शिक्षक योग्यता, पाठ्यक्रम, अवधि, छात्रावास सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी **अद्यतन जानकारी प्रदान करने वाली एक वेबसाइट होनी आवश्यक** है।
- **मानसिक स्वास्थ्य**: छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या के जवाब में, **उक्त दिशा-निर्देश कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हैं।**
  - इसके अंतर्गत एक परामर्श प्रणाली स्थापित करना, मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।
- **शुल्क विनियम**: **उचित ट्यूशन फीस** की व्यवस्था और किसी छात्र द्वारा समय से पूर्व पाठ्यक्रम छोड़े जाने की स्थिति में उसे आनुपातिक आधार पर रिफंड प्रदान किया जाना चाहिये।
- **समावेशी नीतियाँ**: कोचिंग संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।
  - महिला छात्रों, दिव्यांगजनों और उपेक्षित समूहों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने हेतु विशेष प्रयास किये जा सकते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा संबंधी मानक:** 'कक्षा में प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर' जैसे अवसंरचनात्मक मानक का पालन किया जाना चाहिये।
  - कोचिंग संस्थान भवनों को अग्नि सुरक्षा संहिता, भवन सुरक्षा संहिता और अन्य प्रासंगिक मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है।
  - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए इमारतें और परिवेश भी दिव्यांगों के अनुकूल होनी चाहिये।
- **सरकारी निरीक्षण**: सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों के प्रभावी होने के तीन माह के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रीकरण का प्रस्ताव रखा है।
  - राज्य सरकारों को कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी करने और रजिस्ट्रीकरण अर्हता का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **जुर्माना**: रजिस्ट्रीकरण अथवा सामान्य शर्तों के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, कोचिंग संस्थान निम्नानुसार दंड के लिये उत्तरदायी होगा:
  - प्रथम अपराध के लिये 25,000/- रुपए
  - द्वितीय अपराध के लिये 1,00,000/- रुपए
  - पुनः उल्लंघन के लिये रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना।

नोट: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कोचिंग का अर्थ 50 से अधिक छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की किसी भी शाखा में ट्यूशन, निर्देश अथवा मार्गदर्शन से है, किंतु इसमें **परामर्श, खेल, नृत्य, थिएटर और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/moe-guidelines-for-coaching-centres